रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1387] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2012/श्रावण 3, 1934
No. 1387] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2012/SHRAVANA 3, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1684(अ).— जबकि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे यहां आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ड.) में ऐसे माता-पिता अथवा संरक्षक, जिनकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है, के बच्चे को "कमजोर वर्ग के बच्चे" के रूप में परिभाषित किया गया है;

जबकि किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसका कोई विधानमंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्कूल के संबंध में समुचित सरकार होने के नाते केन्द्र सरकार को दमन और दीव प्रशासन से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड.) के अंतर्गत उन सभी माता-पिताओं के बच्चे को "कमजोर वर्ग के बच्चे" के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिनकी वार्षिक आय दमन और दीव प्रशासन द्वारा यथाअधिसूचित एक लाख रूपए अथवा उससे कम है;

जबकि केन्द्र सरकार ने दमन और दीव प्रशासन के प्रस्ताव की जांच की है और उसे स्वीकार कर लिया है;

इसलिए, अब, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड.) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एततद्वारा ऐसे माता-पिता अथवा संरक्षक के बच्चे को "कमजोर वर्ग के बच्चे" के

रूप में अधिसूचित करती है जिनकी वार्षिक आय दमन और दीव प्रशासन द्वारा यथाअधिसूचित एक लाख रूपए अथवा उससे कम है।

[फा. सं. 1-7/2011-ई.ई.-4]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1684(E).— Whereas clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), defines " child belonging to weaker section" as a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification;

Whereas the Central Government being the appropriate Government in relation to a school established, owned or controlled by the administrator of the Union territory having no legislature has received a proposal from Daman and Diu Administration for notifying under clause (e) of section 2 of the RTE Act, a child belonging to all parents whose annual income is equal to or less than one lakh rupees annually as notified by the Daman and Diu Administration, as a child belonging to weaker section;

Whereas the Central Government has examined and considered the proposal of the Daman and Diu Administration;

Now, therefore, in pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 the Central Government hereby notifies a child belonging to parent or guardian whose annual income is equal to or less than one lakh rupees annually as notified by the Daman and Diu Administration, as a child belonging to weaker section.

[F. No. 1-7/2011-E.E.-4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1685(अ).— जबकि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे यहां आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के अनुसार 'अलाभित समूह का बालक' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह को कोई बालक अभिप्रेत है;

और जबकि, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसका कोई विधानमंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्कूल के संबंध में समुचित सरकार होने के नाते केन्द्र सरकार को दमन और दीव प्रशासन से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के अंतर्गत दमन और दीव के मलिन बस्तियों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों, मंगेला, मितना जातियों के बच्चों को 'अलाभित समूह का बालक' के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने दमन और दीव प्रशासन के प्रस्ताव की जांच की है और उसे स्वीकार कर लिया है;

इसलिए, अब, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतदद्वारा दमन और दीव के मलिन बस्तियों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों, मंगेला, मितना जातियों के बच्चों को 'अलाभित समूह का बालक' के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1-7/2011-ई.ई.-4]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1685(E).— Whereas clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), defines 'child belonging to disadvantaged group' as a child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class, or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification;

And whereas, the Central Government, being the appropriate Government in relation to a school established, owned or controlled by the administrator of the Union territory, having no legislature has received a proposal from Daman and Diu Administration for notifying under clause (d) of section 2 of the RTE Act, the Children of slum dwellers and landless agriculture labourers, Mangela, Mitna castes of Daman and Diu as "children belonging to disadvantaged group". The ratio of the above children will be based on their population ratio of the total population of Union territory of Daman and Diu;

And whereas, the Central Government has examined and considered the proposal of the Union territory Administration of Daman and Diu ;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby notifies the children of slum dwellers and landless agriculture labourers, Mangela, Mitna castes of Daman and Diu as "children belonging to disadvantaged group".

[F. No. 1-7/2011-E.E.-4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.